दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29-12-23	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्य से बाहर दौरे मे तशरीफ रखते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली ... 01-03-24 (हस्ताक्षर)	
1-3-24	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्य से बाहर दौरे मे तशरीफ रखते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली गविक कार्यवाही हेतु दिनांक 19-3-24 को (हस्ताक्षर)	
19-03-24	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्य से बाहर दौरे मे तशरीफ रखते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली गविक कार्यवाही हेतु दिनांक 3-05-24 को (हस्ताक्षर)	
3-05-24	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्य से बाहर दौरे मे तशरीफ रखते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली गविक कार्यवाही हेतु दिनांक 28-06-24 को पेश हों। (हस्ताक्षर)	
5-06-24	प्रार्थी का प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई बाबत स्वीकार किया जाकर पत्रावली तलब कर पेश हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण की तामील प्राप्त हुए। वर्ष से ज्यादा का समय हो चुका है परन्तु पत्रावली में न्यायालय की कार्यवाही नहीं होने से पत्रावली तलबी में नियत है। अप्रार्थीगण। वर्ष से अधिक बावजूद सूचना के भी उपस्थित नहीं हुए है। (हस्ताक्षर)	

तारीख हुक्म	
	अप्रार्थीगण 1 वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के पश्चात भी कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की जाती है। अतः उक्त अप्रार्थीगण 1 लगायत 23 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। प्रार्थी पक्ष पर प्रार्थीगण अधिवक्ता को सुना गया। बहस समाप्त पत्रावली की जाती। बहस पर मनन किया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन करने पर जमाबंदी सम्वत 2072-75 में प्रार्थीगण का नाम प्रार्थना पत्र वर्णित आराजी का रिकॉर्ड खातेदार है। प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया। पत्रावली फैसल शुमार हो प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी,जिला बून्दी राज0

41 / प्रा.पत्र / 2022
दायरा दिनांक 22.06.2022

पीठासीन अधिकारी
श्री कैलाश चन्द गुर्जर (RAS)

बउनवान

1. सुमेर सिंह पुत्र राजकंवर जाति राजपूत निवासी म0नं0 244 / 368 साहू नगर सवाई माधोपुर राज0
2. महेन्द्र सिंह पुत्र राजकंवर जाति राजपूत निवासी म0नं0 244 / 368 साहू नगर सवाई माधोपुर राज0
3. टीना पुत्री राजकंवर जाति राजपूत निवासी म0नं0 244 / 368 साहू नगर सवाई माधोपुर राज0
4. मीना पुत्री राजकंवर जाति राजपूत निवासी म0नं0 244 / 368 साहू नगर सवाई माधोपुर राज0

—प्रार्थीगण

बनाम

1. सूरजमल आत्मज केसरा जाति मीणा निवासी कांकरामेज तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
2. दया चन्द आत्मज केंदार जाति मीणा निवासी कांकरामेज तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
3. रामनिवास आत्मज केंदार जाति मीणा निवासी कांकरामेज तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
4. लखन आत्मज केंदार जाति मीणा निवासी कांकरामेज तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
5. लड्डू लाल आत्मज केंदार जाति मीणा निवासी कांकरामेज तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
6. कुन्ज बिहारी आत्मज लटूर जाति मीणा निवासी पाली तहसील इन्द्रगढ़ तहसील बून्दी राज0
7. किष्किन्धा पुत्री लटूर जाति मीणा निवासी पाली तहसील इन्द्रगढ़ तहसील बून्दी राज0
8. कौशल पुत्र लटूर जाति मीणा निवासी पाली तहसील इन्द्रगढ़ तहसील बून्दी राज0
9. छोटा पुत्री लटूर जाति मीणा निवासी पाली तहसील इन्द्रगढ़ तहसील बून्दी राज0
10. पार्वती पुत्री लटूर जाति मीणा निवासी पाली तहसील इन्द्रगढ़ तहसील बून्दी राज0
11. राजू पुत्र लटूर जाति मीणा निवासी पाली तहसील इन्द्रगढ़ तहसील बून्दी राज0
12. मुकेंश पुत्र लटूर जाति मीणा निवासी पाली तहसील इन्द्रगढ़ तहसील बून्दी राज0
13. रामबिलास पुत्र लटूर जाति मीणा निवासी पाली तहसील इन्द्रगढ़ तहसील बून्दी राज0
14. राममूर्ति पुत्री लटूर जाति मीणा निवासी पाली तहसील इन्द्रगढ़ तहसील बून्दी राज0
15. गोंबरिया पुत्र बजरंगा जाति मीणा निवासी पाली तहसील इन्द्रगढ़ तहसील बून्दी राज0

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

1|3

16. कालीबाई पत्नी मांगीलाल जाति मीणा निवासी पाली तहसील इन्द्रगढ़ तहसील बून्दी राज0
17. बुद्धि प्रकाश पुत्र मांगीलाल जाति मीणा निवासी पाली तहसील इन्द्रगढ़ तहसील बून्दी राज0
18. मोहनलाल पुत्र मांगीलाल जाति मीणा निवासी पाली तहसील इन्द्रगढ़ तहसील बून्दी राज0
19. राजेन्द्र पुत्र मांगीलाल जाति मीणा निवासी पाली तहसील इन्द्रगढ़ तहसील बून्दी राज0
20. सोहन लाल पुत्र मांगीलाल जाति मीणा निवासी पाली तहसील इन्द्रगढ़ तहसील बून्दी राज0
21. धापू बाई बेंवा गोबरी लाल जाति मीणा निवासी पाली तहसील इन्द्रगढ़ तहसील बून्दी राज0
22. पप्पू लाल आत्मज गोबरी लाल जाति मीण निवासी पाली तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी
23. शम्भूलाल आत्मज गोबरी लाल जाति मीण निवासी पाली तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी
24. विमला बाई पुत्री गोबरी लाल जाति मीण निवासी पाली तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी
25. रामकरण पुत्र गोपाल जाति मीण निवासी पाली तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी
26. रामकरण पुत्र माधों जाति मीण निवासी पाली तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी
27. बेंबी कंवर पत्नी लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत निवासी लाखेरी राल्वे स्टेशन तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी
28. रामप्रसाद पुत्र धन्ना जाति मीणा निवासी पाली मजरा तहसील इन्द्रगढ़, बून्दी
29. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी

अन्तर्गत धारा 128 एल. आर. एक्ट
प्रार्थीगण की ओर से :— श्री दिनेश कुमार शर्मा
अप्रार्थी की ओर से :— पैरोकार सरकार।

दिनांक:— 05.06.2024

—:आदेश:—

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना—पत्र पेश किया गया है कि जमाबंदी सम्वत् 2072—75 ग्राम पाली पटवार हल्का बसवाडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी की कृषि भूमि खाता संख्या 95 खसरा संख्या 1055 रकबा 1.95 है0, खसरा संख्या 1141 रकबा संख्या 0.70 है0 किता 2 योग रकबा 2.65 है0 जो खातेदारी हक से दर्ज रिकॉर्ड होकर प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की है। जिसकी पत्थरगढ़ी करने का निवेदन किया है।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि के समीप ही अन्य कृषि भूमि है जिसके कारण प्रार्थीगण की कृषि भूमि दबी हुई है जिसके कारण आस—पास के पडौसी खातेदार द्वारा प्रार्थीगण की कृषि भूमि पर कब्जा करने की संभावना है और प्रार्थीगण की कुछ भूमि सिकुड़ी हुई है जितनी कृषि भूमि प्रार्थीगण के खाते में है उतनी कृषि भूमि मौके पर नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना में वर्णित कृषि भूमि का दिनांक

उपखण्ड अधिकारी 213
लाखेरी (बून्दी)

19.05.2022 को सीमाज्ञान करवाया था परन्तु प्रार्थीगण की खातेदारी एवं व कब्जे की कृषिभूमि के पड़ौसी खातेदार प्रार्थीगण की कृषि भूमि पर अतिक्रमण कर प्रार्थीगण की सीमाओ को मिटाना चाहते है। सीमांकन के संबंध में कोई वाद विवाद उत्पन्न न हो व प्रार्थीगण की कृषिभूमि सुरक्षित रहे इस कारण पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। प्रार्थिगण को सुना तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का निरीक्षण किया– प्रार्थीगण उक्त आराजीयात जैर बहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हें आराजीयात जैर बहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थिगण को नोटिस जारी किए गए। अप्रार्थिगण 1 लगायत 29 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रार्थिगण द्वारा दिनांक 15.05.2024 प्रकरण में शीघ्र सुनवाई कर पत्थगढी आदेश किए जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र पेश किया गया। पत्रावली तलब कर पेश हुई प्रार्थिगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थिगण अधिवक्ता दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का दौहराव करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थिगण की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी किए जाने का निवेदन किया। उभयपक्ष बहस समाहत पत्रावली की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया, तथ्यों पर मनन किया गया। जमाबंदी सम्वत् 2072–75 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थिगण प्रार्थना पत्र में अंकित कृषि भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार है जिन्हे अपनी खाते कृषि भूमि का सीमांकन करवाकर पत्थरगढ़ी करवाने अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। तहसीलदार इन्द्रगढ़ को प्रकरण हाजा में कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम पाली पटवार हल्का बसवाडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी की कृषि भूमि खाता संख्या 95 खसरा संख्या 1055 रकबा 1.95 है0, खसरा संख्या 1141 रकबा संख्या 0.70 है0 किता 2 योग रकबा 2.65 है0 जो खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड होकर प्रार्थिगण के खातेदारी हक दर्ज रिकार्ड की फरिकेन मुकदमा को सूचित कर उभयपक्ष की उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे अनुसार बिना कब्जे में दखल दिये नपती की जाकर सही सीमा चिन्ह स्थापित किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी की जावे एवं मौके पर कोई विवाद हो तो पुनः न्यायालय में पेश करें। पर्चा मौका एवं मौका ट्रेस 15 योम में इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे। कमिश्नर फीस 1000/– रूपये अक्षरे एक हजार रुपये प्रार्थिगण से वसूल किये जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 05.06.2024 को खुले न्यायालय के इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)